अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 572(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ज) के साथ पठित धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है ;

(ग) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है ।

3. विवरणियां, ब्यौरे और वार्षिक रिपोर्ट देने का प्ररूप, रीति और समय -

(1) बोर्ड एक वार्षिक रिपोर्ट परिशिष्ट में विहित प्ररूप में और रीति से तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार को देगा जिसमें उसके क्रियाकलापों का सही और पूरा ब्यौरा दिया जाएगा जिनके अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान की कार्यवाहियां और नीतियां भी हैं ।

(2) बोर्ड द्वारा ऊपर उपनियम (1) में निर्दिष्ट पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूरा हो जाने के पश्चात् नौ मास के भीतर बोर्ड की बैठक में अंगीकार कर लिए जाने के पश्चात् दी जाएगी और उसपर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा बोर्ड की सामान्य मुद्रा लगाकर उसे अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

परिशिष्ट

[नियम 3 देखिए]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मदें भी होंगी :-

भाग 1

साधारण

(क) साधारण आर्थिक पर्यावरण का पुनर्विलोकन ;

(ख) भूमंडलीय तेल और गैस का परिदृश्य ;

(ग) घरेलू तेल और गैस का परिदृश्य ;

(घ) सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस विनियामक पद्धतियां और भारतीय संदर्भ में उनका अंगीकरण ।

भाग 2

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के निम्नलिखित क्रियाकलापों के संबंध में कार्यकरण और प्रचालन का पुनर्विलोकन :-

(i) इकाइयों का रजिस्ट्रीकरण और प्राधिकरण ;

(ii) इकाइयों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतियोगिता विकसित करके उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण ;

(iii) देश के सभी भागों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के अनिर्विघ्न और पर्याप्त प्रदाय की मानीटरी ;

(iv) सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में पाइप लाइनों की घोषणा, उनको बिछाना, सन्निर्माण करना और उनका प्रचालन करना या विस्तारण करना ;

(v) नगर गैस वितरण नेटवर्क की घोषणा, उनको बिछाना, सन्निर्माण करना और उनका प्रचालन करना या विस्तारण करना ;

(vi) सामान्य वाहकों और ठेका वाहकों के लिए परिवहन की दरों का विनियमन ;

(vii) अधिसूचित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की बाबत कीमतों और परिवहन दरों तथा इकाइयों द्वारा निर्बंधित व्यापार पद्धति का निवारण करने हेतु लिए गए सुधारात्मक उपायों की मानीटरी ;

(viii) खुदरा दुकानों के लिए खुदरा सेवा बाध्यताओं और इकाइयों के लिए विपणन सेवा बाध्यताओं को परिवर्तित करना ;

(ix) पाइप लाइनों के सन्निर्माण और प्रचालन में सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश तथा डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेक्टर से संबंधित अवसंरचनात्मक परियोजनाएं ;

(x) महत्वपूर्ण विवाद समाधानों, निदेशों/आदेशों, अपीलों और न्यायालयों आदेशों की सूची ;

(xi) बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों और कृत्यों की सूची ;

(xii) वर्ष के दौरान विरचित नए विनियम, यदि कोई हों ।

भाग 3

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के वार्षिक लेखाओं का ब्यौरा

भाग 4

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के संगठनात्मक मामले

[फा. सं. पी-23011/1/06-एमकेटी भाग (3)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2006

G.S.R. 572(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 41 read with clause (h) of Sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Annual Report) Rules, 2006.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, -

   (a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

   (b) "Appendix" means an Appendix annexed to these rules;

   (c) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Form, manner and the time of furnishing of returns, statements and Annual Report.** -

   (1) The Board shall prepare and furnish to the Central Government an annual report giving a true and full account of its activities including proceedings and policies during the previous financial year in the form and manner prescribed in the Appendix.

   (2) The Annual Report of the previous financial year referred to in sub-rule (1) above shall be submitted by the Board to the Central Government after adoption at a meeting of the Board and being signed by the members and authenticated by affixing the common seal of the Board within nine months after the close of each financial year.

APPENDIX
[*see rule 3*]

Form of Annual Report of The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board comprising inter-alia of following items:-

Part I

General

(a) Review of General Economic Environment ;

(b) Global Oil and Gas Scenario ;

(c) Domestic Oil and Gas Scenario ;

(d) Best international Oil and Gas regulatory practices and adoption thereof in the Indian context.

Part II

Review of working and operations of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in respect of the following activities :-

(i) Registration and Authorization of entities;

(ii) Protection of interest of consumers by fostering fair trade and competition amongst the entities;

(iii) Monitoring of uninterrupted and adequate supply of petroleum and petroleum products in all parts of the Country;

(iv) Declaring, laying, building and operating or expanding the pipelines as common carrier or contract carrier;

(v) Declaring, laying, building and operating or expanding the City gas distribution networks;

(vi) Regulation of transportation rates for common carriers and contract carriers;

(vii) Monitoring of prices and transportation rates in respect of notified petroleum, petroleum products and natural gas and corrective measures taken to prevent restrictive trade practice by the entities;

(viii) Enforcing of retail service obligations for retail outlets and marketing service obligations for entities;

(ix) Technical standards and specifications including safety standards in construction and operation of pipeline and infrastructure projects related to downstream petroleum and natural gas sector;

(x) Gist of important dispute resolutions, directions/orders, appeals and court orders;

(xi) Gist of powers and functions delegated by the Board;

(xii) New regulations, if any, framed during the year.

Part III

Statement of Annual Accounts of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board.

Part IV

Organisational matters of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board.

[F. No. P-23011/1/06-Mkt. Part (III)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.